संख्याः–526 / XXIV–3 / 02(43)2013

प्रेषक,

मनीषा पंवार,
सचिव,
उत्तराखण्ड शासन।

सेवा में,

महानिदेशक,
विद्यालयी शिक्षा, उत्तराखण्ड,
ननूरखेड़ा, देहरादून।

राज्य परियोजना निदेशक
उत्तराखण्ड सभी के लिए माध्यमिक शिक्षा
परिषद्, ननूरखेड़ा, देहरादून।

माध्यमिक शिक्षा अनुभाग–3 देहरादूनः दिनांक 23 मार्च, 2013

विषयः– **माध्यमिक स्तर पर गुणवत्ता उन्नयन कार्यक्रम के अंतर्गत अपेक्षित अधिगम स्तरों की पहचान तथा उपचारात्मक शिक्षण के संबंध में।**

महोदय,

उपर्युक्त विषयक राज्य परियोजना निदेशक, उत्तराखण्ड सभी के लिए माध्यमिक शिक्षा परिषद् (राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान), देहरादून के पत्र संख्याः–नियोजन / 4877 / 248–मा0स्त0अ0गु0स0 / 2012–13, दिनांकः 11 फरवरी, 2013 के संदर्भ में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि माध्यमिक स्तर पर कक्षा–9 में प्रवेश लेने वाले बच्चों के अपेक्षित अधिगम स्तरों की पहचान कर उपचारात्मक शिक्षण दिये जाने एवं माध्यमिक स्तर पर शैक्षिक गुणवत्ता संवर्द्धन हेतु संलग्न परिशिष्ट 'अ' के अनुसार कार्ययोजना निर्धारित कर क्रियान्वित करने की श्री राज्यपाल महोदय निम्नांकित शर्तों / प्रतिबन्धों के आधार पर सहर्ष स्वीकृत प्रदान करते हैः–

1. शिक्षण–अधिगम प्रक्रियाओं एवं तत्सम्बन्धी सैद्धान्तिक बदलावों (Paradigm shifts) के फलस्वरूप आज शिक्षण व्यवस्था में गुणात्मक सुधार के प्रति एक नई दृष्टि विकसित हुई है। अध्यापक जहाँ फैसिलिटेटर, गाइड के रूप में है तो वहीं छात्र स्वयं ज्ञान के सृजनकर्ता के रूप में। अतः इसे दृष्टिगत रखते हुए पाठ्यक्रम, अंतरण प्रक्रियाओं, शिक्षक–प्रशिक्षणों को भी उक्त के अनुरूप संचालित किए जाने के प्रयास किये जाने होंगे। शिक्षण–अधिगम प्रक्रिया के महत्वपूर्ण अंग के रूप में मूल्यांकन के प्रति राष्ट्रीय शिक्षा नीति, राष्ट्रीय पाठ्यचर्या रूपरेखा–2005 के उपरान्त एक नई सोच मुखर हुई है।
2. मूल्यांकन प्रक्रिया के तहत छात्र के पाठ्यगामी एवं पाठ्य सहगामी क्षेत्रों पर बराबर महत्व देने के साथ–साथ परीक्षा को रटंत प्रणाली से मुक्त करने के प्रयास किए जा रहे हैं। गत दशक से प्रारम्भिक स्तर पर राज्य में सी0सी0ई0 प्रक्रिया के क्रियान्वयन के सार्थक प्रयास किए गए हैं। माध्यमिक स्तर पर भी इसे और प्रभावी बनाए जाने के प्रयासों की आवश्यकता है, जिन्हें किया भी जा रहा है।
3. निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा का अधिकार अधिनियम के प्रावधानों के तहत "No Detention Policy" को ध्यान में रखकर छात्रों को प्रारम्भिक स्तरीय अंतिम चक्र (कक्षा–8) से प्रोन्नत किया जा रहा है। इससे कतिपय छात्र विषयवार माध्यमिक स्तर की पहली सीढी (कक्षा–9) में प्रवेश के उपरान्त कक्षा–9 में विषयवार अपेक्षित प्रगति / सम्प्राप्ति नहीं प्राप्त कर पा रहे हैं जिससे उन्हें नई प्रोन्नत कक्षा में स्वयं को समायोजित करने में कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है, इससे उनमें शिक्षा के प्रति एक अज्ञात भय के उत्पन्न होने का खतरा है।

क्रमशः–2–

4. कक्षा–8 में निर्धारित दक्षताओं में से कक्षा–9 के पाठ्यक्रम हेतु आवश्यक दक्षताओं को चिन्हांकित किया जाना आवश्यक है। ताकि माध्यमिक स्तर पर छात्र–छात्रा के पूर्व ज्ञान (Expected Entry Level Competencies) को अध्यापक जान सके तथा यदि किसी छात्र–छात्रा का EELC अपेक्षित न हो तो उसे माध्यमिक स्तरीय पाठ्यक्रम प्रारम्भ करने से पूर्व EELC को प्राप्त करवाने हेतु उपचारात्मक शिक्षण कर सके।

5. इस हेतु विषय विशेषज्ञों की उपस्थिति में एक कार्यशाला आयोजित की जा सकती है। अपेक्षित अधिगम स्तर हेतु दक्षताओं के चिन्हांकन के उपरान्त विषयवार प्रश्नपत्र निर्माण/अन्य परीक्षण विधियों के द्वारा छात्र–छात्रा के अधिगम स्तर को जाना जाय। मूल्यांकन के उपरान्त उक्त अपेक्षित सम्प्राप्ति स्तर को प्राप्त न कर सकने वाले छात्रों के लिए शुरूआत के दो माहों में उपचारात्मक शिक्षण के द्वारा सहयोग प्रदान किया जाय, ताकि वे अपनी नवीन प्रोन्नत कक्षा के पाठ्यक्रम के साथ स्वयं को समायोजित कर सकें व माध्यमिक स्तरीय अपेक्षित अधिगम स्तर को प्राप्त कर सकें।

अतः उपरोक्त क्रम में निम्नवत् योजना के अनुसार कार्यवाही सुनिश्चित की जाय–

1. **लक्ष्य समूह–** कक्षा–9 में प्रवेश लेने वाले बच्चे।

2. **लक्ष्य क्षेत्र–** प्रथम चरण में समस्त 13 जनपदों के 01–01 विकास खण्ड में पायलट आधार पर कार्यक्रम संचालित किया जायेगा। जिसे परीक्षणोपरान्त आगामी वर्षों में समस्त विद्यालयों में संचालित किया जा सकेगा।

3. **पूर्व तैयारी–** राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान, सर्व शिक्षा अभियान सीमैट, एस0सी0ई0आर0टी0, परीक्षा बोर्ड, डायट, अजीज प्रेमजी फाउण्डेशन तथा अन्य शिक्षाविदों का सन्दर्भ समूह तैयार कर कार्यशाला आयोजित की जायेगी, जिसमें बच्चों को कक्षा–9 के पाठ्यक्रम के अनुरूप कक्षा–8 की अपेक्षित वांछित दक्षताओं को चिन्हित किया जायेगा, ताकि कक्षा–8 से कक्षा–9 में प्रवेश लेने वाले छात्र–छात्राओं को माध्यमिक स्तरीय पाठ्यक्रम की सम्प्राप्ति हेतु तैयार किया जा सके। प्रथम चरण में 04 कोर विषयों गणित, विज्ञान, हिन्दी एवं अंग्रेजी के लिए ही अधिगम स्तर परीक्षण किया जाए। इस कार्यशाला में कक्षा–9 में प्रवेश के तत्काल पश्चात छात्र–छात्राओं की अपेक्षित वांछित दक्षताओं का चिन्हांकन करने की पद्धति (मूल्यांकन प्रविधि), मूल्यांकन से प्राप्त परिणामों का विश्लेषण तथा उपचारात्मक शिक्षण पर भी रणनीति तैयार की जाए।

4. **कार्यनीति–**

   (i) कार्यशाला में चिन्हित अपेक्षित दक्षताओं के आधार पर अजीज प्रेमजी फाउण्डेशन एवं अन्य विशेषज्ञों की सहायता से बाल मैत्रीपूर्ण दक्षता आधारित चिन्हांकन प्रक्रिया निर्धारित की जाए।

   (ii) निर्धारित प्रक्रिया के आधार पर मूल्यांकन पद्धति तथा मूल्यांकन के परिणामों के विश्लेषण हेतु शिक्षक प्रशिक्षण पैकेज तैयार किया जाए।

   (iii) प्रशिक्षण पैकेज के आधार पर राज्य स्तर पर प्रत्येक जनपद हेतु 04–04 मास्टर ट्रेनर्स को प्रशिक्षित किया जाए।

   (iv) मास्टर ट्रेनर्स द्वारा चयनित विकासखण्ड के प्रत्येक राजकीय तथा सहायता प्राप्त माध्यमिक विद्यालयों के 04 विषयाध्यापकों (हिन्दी, अंग्रेजी, गणित व विज्ञान) को जनपद स्तर पर प्रशिक्षित किया जाए।

क्रमशः–3–

(v) प्रशिक्षित अध्यापकों द्वारा अपने विद्यालय में कक्षा–9 में नवीन प्रवेशित छात्र–छात्राओं की आवश्यक अपेक्षित अधिगम स्तरों की पहचान उपलब्ध कराये गये प्रश्न–पत्रों तथा विधियों द्वारा की जाए।

(vi) आवश्यक अपेक्षित अधिगम स्तरों की पहचान के पश्चात विद्यालय स्तर पर प्रत्येक छात्र–छात्रा की विषयवार कम सम्प्राप्ति वाले सम्बोधों की पहचान की जाए।

(vii) अध्यापक द्वारा विषयवार सम्पूर्ण कक्षा की समन्वित कम सम्प्राप्ति के सम्बोधों की पहचान की जायेगी तथा विषय की कम दक्षता वाले सम्बोधों की वरीयतानुसार सूची तैयार की जाए।

(viii) विषय अध्यापकों द्वारा समस्त कक्षा हेतु कम सम्प्राप्ति के सम्बोधों पर उपचारात्मक शिक्षण किया जायेगा, तथा इस शिक्षण के दौरान छात्र विशेष के लिए भी चिन्हित कम सम्प्राप्ति के सम्बोधों पर भी ध्यान दिया जाए।

(ix) उपचारात्मक शिक्षण के पश्चात माह मई के अन्त में पुनः छात्र का मूल्यांकन किया जायेगा। यदि इस मूल्यांकन के पश्चात भी किसी सम्बोध पर उपचारात्मक शिक्षण की आवश्यकता हो तो उसे कक्षा–9 के पाठ्यक्रम के साथ–साथ किया जाए।

5. बजट प्राविधान–

इस कार्यक्रम हेतु बजट राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान, सीमैट, एस0सी0ई0आर0टी0 तथा माध्यमिक शिक्षा में संबंधित मदों यथा सेवारत् शिक्षण प्रशिक्षण, मूल्यांकन, प्रशिक्षण, अनुश्रवण तथा विद्यालय विकास अनुदान आदि संबंधित मदों में उपलब्ध धनराशि से व्यय किया जाए।

6. समय सारिणी–

क्र0 सं0	कार्यक्रम का नाम	स्थल	प्रस्तावित समय	उत्तरदायित्व
1.	सन्दर्भ समूह कार्यशाला एवं आवश्यक अधिगम स्तरों की पहचान	सीमैट, देहरादून	मार्च चतुर्थ सप्ताह	अपर निदेशक, सीमैट, रा0प0का0, रा0मा0शि0अ0
2.	राज्य मुख्य सन्दर्भ दाता प्रशिक्षण एवं अध्यापक प्रशिक्षण पैकेज निर्माण	सीमैट, देहरादून	अप्रैल प्रथम सप्ताह	अपर निदेशक, सीमैट, रा0प0का0, रा0मा0शि0अ0
3.	प्रशिक्षण पैकेज मुद्रण मास्टर ट्रेनर्स प्रशिक्षण	सीमैट, देहरादून	अप्रैल द्वितीय एवं तृतीय सप्ताह	अपर निदेशक, सीमैट, रा0प0का0, रा0मा0शि0अ0
4.	दक्षता आधारित प्रश्न पत्र निर्माण एवं मुद्रण	सीमैट, देहरादून	अप्रैल चतुर्थ सप्ताह एवं मई प्रथम सप्ताह	सीमैट / एस0सी0ई0आर0टी0 / रा0प0का0
5.	अध्यापक प्रशिक्षण	डायट सम्बन्धित	मई द्वितीय सप्ताह से तृतीय सप्ताह तक	एस0सी0ई0आरटी0 / सीमैट खण्ड शिक्षा अधिकारी, डायट, रा0प0का0
6.	दक्षता आधारित मूल्यांकन / Learning Gap Assessment	विद्यालय स्तर	जुलाई प्रथम सप्ताह	खण्ड शिक्षा अधिकारी / प्रधानाचार्य / विषयाध्यापक
7.	न्यून सम्प्राप्ति वाले सम्बोधों पर उपचारात्मक शिक्षण	विद्यालय स्तर	जुलाई द्वितीय सप्ताह से जुलाई चतुर्थ सप्ताह	खण्ड शिक्षा अधिकारी / प्रधानाचार्य / विषयाध्यापक
8.	उपचारात्मक शिक्षण के पश्चात सम्प्राप्ति मूल्यांकन	विद्यालय स्तर	अगस्त प्रथम सप्ताह	प्रधानाचार्य / विषयाध्यापक
9.	आवश्यक बच्चों का उपचारात्मक शिक्षण	विद्यालय स्तर	अगस्त द्वितीय सप्ताह से सतत	प्रधानाचार्य / विषयाध्यापक

क्रमशः–4–

7. अनुश्रवण—

क्र0सं0	कार्यक्रम	अनुश्रवण कर्ता
1.	सन्दर्भ समूह कार्यशाला	(i) रा0प0नि0, रा0मा0शि0अ0 (ii) अपर निदेशक, सीमैट (iii) अपर निदेशक, एस0सी0ई0आर0टी0
2.	प्रशिक्षण माड्यूल निर्माण कार्यशाला	(i) रा0प0नि0, रा0मा0शि0अ0 (ii) अपर निदेशक, सीमैट (iii) अपर निदेशक, एस0सी0ई0आर0टी0 (iv) संयुक्त राज्य परियोजना निदेशक, रा0मा0शि0अ0
3.	मास्टर ट्रेनर्स प्रशिक्षण	(i) रा0प0नि0, रा0मा0शि0अ0 (ii) अपर निदेशक, सीमैट (iii) अपर निदेशक, एस0सी0ई0आर0टी0 (iv) प्राचार्य, डायट (v) जिला परियोजना अभिकर्मी
4.	अध्यापक प्रशिक्षण	सीमैट/प्राचार्य, डायट/राज्य परियोजना कार्यालय/ एस0सी0आर0टी अभिकर्मी/अजीम प्रेमजी फाउण्डेशन
5.	दक्षता आधारित मूल्यांकन एवं कम अधिगम सम्बोधों की पहचान	डायट अभिकर्मी/जिला परियोजना अधिकारी/खण्ड शिक्षा अधिकारी/अजीम प्रेमजी फाउण्डेशन
6.	उपचारात्मक शिक्षण	प्रधानाचार्य/खण्ड शिक्षा अधिकारी
7.	अन्तिम परीक्षण	डायट/खण्ड शिक्षा अधिकारी

8. **माध्यमिक स्तर पर गुणवत्ता संवर्द्धन कार्यक्रम (सार)—**

मार्च चतुर्थ सप्ताह	सन्दर्भ समूह कार्यशाला एवं आवश्यक अधिगम स्तरों की पहचान	सीमैट, देहरादून
↓	↓	↓
अप्रैल प्रथम सप्ताह	अध्यापक प्रशिक्षण पैकेज निर्माण एवं राज्य मुख्य सन्दर्भ दाता प्रशिक्षण	सीमैट, देहरादून
↓	↓	↓
अप्रैल द्वितीय एवं तृतीय सप्ताह	प्रशिक्षण पैकेज मुद्रण मास्टर ट्रेनर्स प्रशिक्षण	सीमैट, देहरादून
↓	↓	↓
अप्रैल चतुर्थ सप्ताह एवं मई प्रथम सप्ताह	दक्षता आधारित प्रश्न पत्र निर्माण एवं मुद्रण	सीमैट, देहरादून
↓	↓	↓
मई द्वितीय सप्ताह से तृतीय सप्ताह तक	अध्यापक प्रशिक्षण	डायट सम्बन्धित
↓	↓	↓
जुलाई प्रथम सप्ताह	दक्षता आधारित मूल्यांकन/Learning Gap Assessment	विद्यालय स्तर
↓	↓	↓
जुलाई द्वितीय सप्ताह से जुलाई चतुर्थ सप्ताह	न्यून सम्प्राप्ति वाले सम्बोधों पर उपचारात्मक शिक्षण	विद्यालय स्तर
↓	↓	↓
अगस्त प्रथम सप्ताह	उपचारात्मक शिक्षण के पश्चात सम्प्राप्ति मूल्यांकन	विद्यालय स्तर
↓	↓	↓
अगस्त द्वितीय सप्ताह से सतत	आवश्यक बच्चों का उपचारात्मक शिक्षण	विद्यालय स्तर

कृपया उपरोक्तानुसार आवश्यक कार्यवाही सुनिश्चित करते हुए कृत कार्यवाही से शासन को भी अवगत कराने का कष्ट करें।

भवदीय,

(मनीषा पवार)
सचिव

क्रमशः—5—

पृष्ठांकन संख्याः–526 (i)/XXIV–3/02(43)2013 तद्दिनांक।

प्रतिलिपिः– निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः–

1. मुख्य सचिव, उत्तराखण्ड शासन।
2. प्रमुख सचिव, माननीय मुख्यमंत्री जी, उत्तराखण्ड शासन।
3. निजी सचिव, माननीय मंत्री जी, विद्यालयी शिक्षा, उत्तराखण्ड।
4. निदेशक, माध्यमिक शिक्षा/अकादमिक शोध एवं प्रशिक्षण, उत्तराखण्ड, देहरादून।
5. अपर निदेशक, एस0सी0ई0आर0टी0 उत्तराखण्ड, नरेन्द्रनगर, टिहरी गढ़वाल।
6. अपर निदेशक, गढ़वाल मण्डल–पौड़ी/कुमाऊँ मण्डल–नैनीताल।
7. समस्त जिलाधिकारी, उत्तराखण्ड।
8. समस्त मुख्य शिक्षा अधिकारी, उत्तराखण्ड।
9. समस्त जिला परियोजना अधिकारी (माध्यमिक)/जिला परियोजना अधिकारी, राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान, उत्तराखण्ड।
10. राष्ट्रीय सूचना केन्द्र, सचिवालय परिसर, उत्तराखण्ड, देहरादून।
11. गार्ड फाइल।

(सुनील श्री पांथरी)
उप सचिव